



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020
आश्विन 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संख्या 1941/सत्तर-1-2020-16(74)-2018 टी०सी०
लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-295

उत्तर प्रदेश विष्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन और संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1 क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विष्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश राज्य विष्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2019) द्वारा स्थापित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, डॉ० भीमराव आंबेडकर विष्वविद्यालय, आगरा की पूल निधि से रु० 100 करोड़ (सौ करोड़ रुपये मात्र) की धनराशि, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विष्वविद्यालय, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विष्वविद्यालय, अलीगढ़ को आवंटित करती है।

डॉ० भीमराव आंबेडकर विष्वविद्यालय, आगरा से रु० 100 करोड़ (सौ करोड़ रुपये मात्र) की आवंटित धनराशि, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विष्वविद्यालय, अलीगढ़ के नाम से खोले गये एक पृथक खाता (एस्करो खाता) में जमा की जायेगी और इस धनराशि का उपयोग, केवल राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विष्वविद्यालय, अलीगढ़ के भवन निर्माण के लिये किया जायेगा।

आज्ञा से,
मोनिका एस० गर्ग,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1941/LXX-1-2020-16(74)-2018 T.C., Dated October 21, 2020 :

No. 1941/LXX-1-2020-16(74)-2018 T.C.

Dated Lucknow, October 21, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1 A) of section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act no. 29 of 1974), Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh was established by the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act, 2019 (U.P. Act no. 20 of 2019).

IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (6) of section 4 of the said Act, the Governor is pleased to allocate rupees 100 crore (rupees one hundred crore only) from the pool fund of Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra to Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh for construction of buildings of the Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh.

The allocated amount of rupees 100 crore (rupees one hundred crore only) from Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra shall be deposited in a separate account (Escrow Account) opened in the name of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh and this amount shall be utilized only for construction of the buildings of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh.

By order,
MONIKA S. GARG,
Apar Mukhya Sachiv.